पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–53 / 2014 गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– **कटिहार जिला के पुलिस प्रतिष्ठानों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मति कार्यों हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल ₹ 34,28,500 (चौतीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–2456 (अनु0), दिनांक 16.06.2016 के आलोक में कटिहार जिला अंतर्गत निम्नांकित कुल–4 आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मति कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार अधियाचित राशि कुल ₹ 34,28,500 (चौतीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस कार्य हेतु कुल ₹ 34,28,500 (चौतीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रू0) मात्र विमुक्त की जाती है :–

जिला का नाम	कार्य	प्राक्कलित राशि
कटिहार	मनिहार थाना में आदर्श थाना भवन का विशेष मरम्मति कार्य।	₹ 4,25,816
कटिहार	कटिहार जिलान्तर्गत बी0एम0पी0–7 में समादेष्टा आवास के विशेष मरम्मति का कार्य।	₹ 8,57,459
कटिहार	पुलिस अधीक्षक कटिहार के आवास का विशेष मरम्मति कार्य।	₹ 17,80,418
कटिहार	पुलिस अधीक्षक आवास के चहारदीवारी का विशेष मरम्मति कार्य।	₹ 3,64,756
कुल		₹ 34,28,449 या **₹ 34,28,500**

वित्त विभाग के अधिसूचना सं0–653 / वि0, दिनांक 25.01.2016 के आलोक में centage अनुमान्य होगा।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग संख्या–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उपशीर्ष 0001–बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों की मरम्मति एवं रख–रखाव, विषय शीर्ष 27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड N2055000510001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. उपर्युक्त राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषांगार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/ब0गै0यो0–01–53/2014गृ0आ0 5425 पटना, दिनांक 15/7/16

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना /अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.16

सरकार के प्रधान सचिव